

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं. 62/अपील/2019
(GCMS No. 2019/00142)

16.04.2019

23.12.2020

हेमराज आ. जयकिशन जाति गुर्जर,
निवासी नीम का खेडा, तहसील एवं जिला बून्दी

- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

- रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

अपीलान्त की ओर से श्री हनुमान बैरागी, एडवोकेट।
रेस्पोजेन्ट की ओर से परोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांत ने तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.19 (मिसल संख्या 954/2019) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरुद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया, अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांत की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अपीलांत को



अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांत अपने अधिकारों से वंचित हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.3.19 को पारित किया गया जबकि जिस पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिया गया वह रिपोर्ट बाद में दिनांक 18.3.19 को तैयार की गई है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के बाद उक्त आराजी पर से अपीलांत द्वारा कब्जा छोड़ दिया है। आरोपित शास्ति अपीलांत द्वारा राजकोष में जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांत पर कोई राशि बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांत को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांत द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, उक्त भूमि आवन्तन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलान्त बार बार अतिचार करने का आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांत के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर सुनान किया गया। जिससे प्रकट हुआ कि अपीलांत ने भूमि ख.सं 890 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम नीम का खेडा पर संवत् 2075 मौसम रबी में गेहूँ की फसल काशत कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 250/-रु. शास्ति, तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2075 मौसम खरीफ में भी उक्त भूमि पर मक्का की फसल कर अवैध अतिक्रमण किया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया था। रिपोर्ट पटवारी अनुसार अपीलांत बार बार अतिचार करने का आदी है।



अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 20.02.19 को विधिवत नोटिस दिया गया, जो स्वयं अपीलांट पर तामील होना अंकित है। इस प्रकार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान किया गया था। इसके बावजूद भी अपीलांट की ओर से उक्त चरागाह भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह भी आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसका पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण मानने की त्रुटि की है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय नायब तहसीलदार बूंदी की पत्रावली सं. 970/2018 निर्णय दिनांक 26.11.18 की पत्रावली पर उषलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्तन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चरागाह भूमियाँ सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में भी चरागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है।



अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर एवं अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी पाये जाने पर समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बूंदी
जिला कलक्टर बूंदी